दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम–2018

संक्षिप्त परिचय एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम–2018 लागू है। ये विनियम, देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे।

इस विनियम का अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में मूल पाठ दिनांक 12 फरवरी 2019 को समस्त संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित किया जा चुका है।

दिनांक 18 जुलाई 2019 को संपन्न प्रवेश समिति के निर्णय के अनुसार इसका संक्षिप्त परिचय एवं प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधान समस्त सम्बंधित के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

I- विनियम का उद्देश्य

1. शोध, शोध–पत्र, शोध–निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण, अकादमिक सत्यनिष्ठा के प्रोत्साहन के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्र संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारी वर्ग में अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज्म) सहित कदाचार से बचाव करना।
2. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के जरिये, संस्थानात्मक तंत्र स्थापित करना, जिससे शोध, शोध–पत्र शोध निबन्ध, अकादमिक सत्यनिष्ठा तथा साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज्म) के निवारण में प्रगति सहज हो सके।
3. साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज्म) का पता लगाने के लिए पद्धतियाँ विकसित करना तथा साहित्यिक चोरी से बचाव के लिए नियामक–तंत्र की स्थापना करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्र, संकाय, शोधकर्ता या कर्मचारी को साहित्यिक चोरी का कृत्य करने पर दण्डित करना।

II- प्रमाणन / घोषणा

प्रत्येक छात्र, जो शोध–पत्र, शोध–निबन्ध या समान दस्तावेज, विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने जा रहा है, वह एक ऐसा वचनबंध / घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि प्रस्तुत दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा यह दस्तावेज उसका मौलिक लेखन कार्य है तथा किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज्म) से मुक्त है।

इस वचनबंध/घोषणा में यह तथ्य भी शामिल किया जाएगा कि इस दस्तावेज की विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज्म) का पता लगाने वाले उपकरणों के जरिये विधिवत जाँच कर ली गई है।

प्रत्येक शोध पर्यवेक्षक, एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि शोधकर्ता द्वारा किया गया अमुक कार्य, उनके पर्यवेक्षण में किया गया है तथा यह साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज्म) से मुक्त है।

दिनांक 18 जुलाई, 2019 को संपन्न प्रवेश समिति के निर्णय के अनुसार शोध उपाधि हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक शोध प्रबंध के साथ प्लैजरिज्म चेक सम्बन्धी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जायेंगी।

III- प्लैजरिज्म चेक : प्रक्रिया एवं प्रावधान

प्लैजरिज्म चेक हेतु विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रंथालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एक एंटी प्लैजरिज्म सोफ्टवेयर URKUND प्राप्त किया गया है।

किसी भी शोध प्रबंध/शोध प्रपत्र का प्लैजरिज्म चेक कराने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी।

1. शोध प्रबंध के मामले में शोध निर्देशक तथा शोध पत्र के मामले में लेखक स्वयं इस परीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेगा।
2. अनुरोधकर्ता परीक्षण हेतु प्रेषित की जाने वाली थीसिस या रिसर्च पेपर की MS Word में एक ऐसी फाइल तैयार करेगा जिसमें शोध सन्दर्भ और BIBLIOGRAPHY/ ANNEXURE आदि न हों।
3. यह फाइल अनुरोधकर्ता द्वारा मानद ग्रंथालयी को इसी प्रयोजन के लिए निर्मित एक इमेल पते – checkmyresearch@gmail.com पर शोधार्थी के नाम तथा परीक्षण के अनुरोध के साथ प्रेषित की जायेगी।
4. परीक्षण के उपरान्त (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकतम 7 दिनों के भीतर) अनुरोधकर्ता को विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट मेल कर दी जाएगी।
5. अनुरोधकर्ता द्वारा मांगे जाने पर मानद ग्रंथालयी द्वारा परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धी औपचारिक प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा।

IV- शोध–प्रबंध (थीसीस) तथा शोध–निबंध (डिसरटेशन) को प्रस्तुत करने के मामले में साहित्यिक चोरी पर दण्ड प्रावधान :

स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानताएं–

– थोडी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।

प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं–

– ऐसे छात्रों को अधिकतम छह माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा करने को कहा जाएगा।

द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं–

– ऐसे छात्रों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जाएगा।

तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं–

– ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।

V- शैक्षिक तथा शोध प्रकाशनों में साहित्यिक चोरी के मामले में दण्ड :

स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानताएं–

– थोडी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।

प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं–

– ऐसे लेखकों को, पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।

द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं–

– उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।

– उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

– उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए किसी नई निष्णात, एम.फिल., पीएच.डी. छात्र/विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं–

– उन्हें पाण्डुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।

– उन्हें लगातार दो वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

– उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी नए निष्णात, एम.फिल., पीएच.डी. छात्र/विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

VI- नियामक निकाय :

विश्वविद्यालय उपर्युक्त विनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दो पैनलों का गठन करेगा। पहला– विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (डीएआईपी) तथा दूसरा– संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (आईएआईपी)।

यदि शैक्षिक समुदाय का कोई सदस्य उपयुक्त प्रमाण के साथ संदेह व्यक्त करता है कि किसी दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण बनता है, वह इस मामले की जानकारी विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (डीएआईपी) को देगा।

डीएआईपी, ऐसी शिकायत अथवा आरोप की प्राप्ति पर मामले की जांच करेगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (आईएआईपी) को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।

उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्राधिकारी साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयंमेव संज्ञान भी ले सकते हैं और इन विनियमों के तहत कार्यवाहियाँ कर सकते हैं। इसी प्रकार, परीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर भी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। ऐसे सभी मामलों की आईएआईपी द्वारा जांच की जाएगी।

A- विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (डीएआईपी)/Departmental Academic Integrity Panel (DAIP) :

विश्वविद्यालय के सभी विभाग एक डीएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है :

क. अध्यक्ष–विभागाध्यक्ष

ख. सदस्य–विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद्, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

ग. सदस्य–साहित्यिक चोरी के साधनों से भली–भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के संबंध में सदस्यगण का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (सभापति सहित)।

- डीएआईपी, छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृन्दों के विरूद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- डीएआईपी, को साहित्यिक चोरी के स्तरों का मूल्यांकन करने तथा तदनुसार, दण्ड की सिफारिश करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- शिकायत प्राप्त होने/कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिन के भीतर डीएआईपी, जांच उपरांत, अपनी रिपोर्ट सहित लगाए जाने वाले दण्ड पर अपनी सिफारिशों को आईएआईपी को प्रस्तुत करेगी।

B- संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल(आईएआईपी) / Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) :

विश्वविद्यालय सर्वोच्च स्तर पर एक आईएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है :

क. अध्यक्ष– विश्वविद्यालय का प्रति–कुलपति / संकाय अध्यक्ष / वरिष्ठ शिक्षाविद।

ख. सदस्य– विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ शिक्षाविद्।

ग. सदस्य– विश्वविद्यालय से इतर किसी अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा नामित किया जाने वाला एक सदस्यगण।

घ. सदस्य– साहित्यिक चोरी के साधनों से भली–भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

एक ही व्यक्ति, डीएआईपी और आईएआईपी का अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगणों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों (सभापति सहित) द्वारा होगी ।

– आईएआईपी, डीएआईपी की सिफारिशों पर विचार करेगा।

– आईएआईपी, इन विनियमों में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार साहित्यिक चोरी के मामलों की जांच भी करेगा।

– आईएआईपी, उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृन्दों के विरूद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

– आईएआईपी को विधिवत् औचित्य के साथ दण्ड सहित डीएआईपी की सिफारिशों की समीक्षा करने की भी शक्तियां प्राप्त होंगी।

– आईएआईपी जांच उपरांत रिपोर्ट तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख द्वारा लगाए जाने वाले दण्ड संबंधी सिफारिशों को डीएआईपी द्वारा शिकायत प्राप्त होने / कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिन के भीतर भेजेगा।

– आईएआईपी उस व्यक्ति(यों) को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा जिसके विरूद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

नोट : इन प्रमुख प्रावधानों से सम्बंधित स्पष्टीकरण, विस्तृत विवरण अथवा अन्य प्रावधानों के विषय में जानकारी के लिए विनियम के मूल पाठ का अवलोकन करना उचित होगा।